

नकासा 264/2009
नकासा 3/16/09

36

न्यायालय उप जिलाधिकारी-शामली जिला मुजफ्फरनगर।

वाद संख्या

45/2008-09

धारा- 143 ज0वि0अधि0

मौजा- सिक्का

परगना- शामली

डा0 एस0एन0 देव चेरिटेबिल रजि0 ट्रस्ट बनाम

सरकार


आदेश

प्रस्तुत वाद डा0 एस0एन0 देव चेरिटेबिल रजिस्टर्ड ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन ट्रस्टी डा0 नरेन्द्र कुमार निवासी मानसिंह फव्वारा चौक शामली परगना व तहसील शामली जिला मु0नगर के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार-शामली की संस्तुति सहित जाँच आख्यादिनांक 2-4-2009 के आधार पर पंजीकृत हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम सिक्का स्थित भूमि खाता संख्या 468 खसरा नम्बर 1024/1 रकबा 1.6706 है0 लगान 66-63 रुपये को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अर्न्तगत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई।

तहसीलदार-शामली ने अपनी संस्तुति सहित जाँच आख्या दिनांक 2-4-2009 से अवगत कराया है कि डा0 एस0एन0 देव चेरिटेबिल रजिस्टर्ड ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन ट्रस्टी डा0 नरेन्द्र कुमार निवासी मानसिंह फव्वारा चौक शामली परगना व तहसील शामली जिला मु0नगर का नाम भूमि खाता संख्या 468 खसरा नम्बर 1024/1 रकबा 1.6706 है0 लगान 66-63 रुपये स्थित ग्राम सिक्का पर संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। इस भूमि पर चारदीवारी का कार्य चल रहा है। उक्त भूमि वर्तमान में कृषि, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, पशुपालन, बागवानी के उपयोग में नहीं आ रही है तथा न ही भविष्य में कृषि, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, पशुपालन, बागवानी के उपयोग में आने कोई सम्भावना नहीं है। रिपोर्ट में नियम 135 की रिपोर्ट भी अंकित की गई। रिपोर्ट के अन्त में उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अर्न्तगत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार-शामली की रिपोर्ट से विदित है कि खाता संख्या 468 खसरा नम्बर 1024/1 रकबा 1.6706 है0 लगान 66-63 रुपये स्थित ग्राम सिक्का पर डा0 एस0एन0 देव चेरिटेबिल रजिस्टर्ड ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन ट्रस्टी डा0 नरेन्द्र कुमार निवासी मानसिंह फव्वारा चौक शामली परगना व तहसील शामली जिला मु0नगर का नाम संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। इस भूमि पर चारदीवारी का कार्य चल रहा है। उक्त भूमि वर्तमान में कृषि, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, पशुपालन, बागवानी के उपयोग में नहीं आ रही है तथा न ही भविष्य में कृषि, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, पशुपालन, बागवानी के उपयोग में आने कोई सम्भावना नहीं है। इस प्रकार उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अर्न्तगत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं तहसीलदार-शामली की संस्तुति सहित जाँच आख्या दिनांक 2-4-2009 के आधार पर वादी डा0 एस0एन0 देव चेरिटेबिल रजिस्टर्ड ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन ट्रस्टी डा0 नरेन्द्र कुमार निवासी मानसिंह फव्वारा चौक शामली की प्रश्नगत भूमि खाता संख्या 468 खसरा नम्बर 1024/1 रकबा 1.6706 है0 लगान 66-63 रुपये स्थित ग्राम सिक्का को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अर्न्तगत अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार-शामली एवं उप निबन्धक तहसील शामली को तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। वाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।



दिनांक: 2-6-2009

जिला मजिस्ट्रेट
शामली
दिनांक: 2-6-2009


General Secretary
S.N. Dev Charitable Trust

Dr. S.N. Dev Charitable Trust
उप जिलाधिकारी-शामली।

धृत्य प्रतिलिपि

For Dr. S.N. Dev Charitable Trust

For Dr. S.N. Dev Charitable T



2
7-00

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार साहब,
तहसील शामली ।

श्रीमानजी,

निवेदन यह है कि प्रार्थी डा० सत०सम० देव चैरिटेबल ट्रस्ट
शामली का चैयरमैन है। प्रार्थी को खसरा न० 1024/1 रकबा 1.71 स्थित
ग्राम सिक्का परगना व तहसील शामली जिला मु०नगर एक ही खसरा नम्बर
है इस खसरा नम्बर के बीच में कोई राष्ट्रीय राज मार्ग व रेलवे लाईन नहीं
है। सीमाबन्धन भूमि उक्त पूरब-नाली, पश्चिम- दिल्ली तहारनपुर मार्ग
उत्तर- लान्तर्ग पब्लिक स्कूल, दक्षिण- रास्ता है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को इस बात का प्रमाण
पत्र दिलाया जावे कि उक्त खसरा न० 1024/1 के बीच में कोई
राष्ट्रीय राज मार्ग या रेलवे लाईन नहीं है कृपा होगी ।

प्रार्थी

दि० 28-6-2011


डा० नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुखवी रतितह
नि०- मानसिंह भवन कैपाना रोड शामली
जिला मु०नगर For Dr. S.N. Dev Charitable Trust

[Signature]
Chairman/Trustee

[Handwritten notes]
श्रीमानजी को
दि. 28/6/11

ATTESTED

[Handwritten signature]



[Signature]
28/6/11

[Handwritten notes]
20/6/11

General Secretary
Dr. S.N. Dev Charitable Trust
Shamli

तहसीलदार
शामली For Dr. S.N. Dev Charitable Trust

[Signature]
Chairman/Trustee

[Signature]
Chairman/Trustee

तहसीलदार
शामली

श्रीमान् श्री
 संलग्न प्रार्थना पत्र का पठित आदेश के
 अनुपालन के लिये आदेश इस प्रकार है।
 क्र. नं. 1024 ई. 17100 कासम गवर्नर पत्र।
 प्लॉट नं. 1 लक्ष्मी शाहवाली जिल्हा नगर एक ही प्लॉट
 के समूह में स्थित है उपरोक्त प्लॉट के बीच के कच्चे
 सम्पत्तों या अन्य जमा नक्का-खिंट प्लॉट का
 सीमा बंधन इस प्रकार है।
 पूरब के गली, पश्चिम के दिल्ली-सुहायपुर रोड,
 उत्तर के लालसुखी बाड़ीयों के गली के सिर्फ सिर्फ
 उत्तर के सीमा

28.6.11
 8/10/11


महोदय लालसुखी शाहवाली जिला लखनऊ कासम गवर्नर पत्र
 व लक्ष्मी शाहवाली जिला लखनऊ के खतरा नं. 1024

क्षेत्रफल 17100 वर्ग मीटर प्राप्ति एक ही प्लॉट के समूह में स्थित है
 उपरोक्त प्लॉट के मध्य कोई सम्पत्ति/गली, रेलवे मार्ग
 अथवा अन्य खतरा नम्बर नहीं है। प्लॉट का सीमा बन्धन
 निम्न प्रकार है।

ATTESTED

- पूरब = गली
- पश्चिम = दिल्ली लक्ष्मी शाहवाली
- उत्तर = लालसुखी बाड़ीयों
- दक्षिण = गली

General Secretary
 Dr. S.N. Dev Chairtable Trust
 Sitla, Shimli



आज्ञा लखनऊ महोदय श्री

28/6/11
 मोपाल सिंह
 Chairman/Trustee

28/6/11
 लक्ष्मीलाल
 धामली
 Chairman/Trustee

For Dr. S.N. Dev Chairtable Trust
 श्रीमान् श्री
 Chairman/Trustee

27-53 2511 - 1st Floor 20/10 211100
156 30000

39



ATTESTED
NOTARY
Rajendra Singh
Sheriff (Uttarakhand)
Reg. No. - 5237/08
U.T. OF U.P.

Charitable Trust For Dr. S.N. Dev Charitable Trust
Chairman/Trustee

General Secretary
Dr. S.N. Dev Charitable Trust